



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-12072024-255364  
CG-JK-E-12072024-255364

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513]  
No. 513]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2024/आषाढ 20, 1946  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 11, 2024/ASHADHA 20, 1946

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख)

अधिसूचना

जम्मू, 28 जून, 2024

सं. जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2024/11—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की संख्या 36) की धारा 181 की उप-धारा (I) और उप-धारा (2) के खंड (zd) और (zi) के साथ पठित धारा 61 (h) और धारा 86 (1) (e) के तहत प्रदत्त शक्तियों और उस संबंध में उसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, पूर्व प्रकाशन के बाद, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (ग्रिड इंटर एक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और इस के संबंधित मामले) 2023 (सिद्धांत विनियम) में निम्नलिखित संशोधन करता है:

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ग्रिड इंटर एक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और इससे संबंधित मामले (पहला संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे:
- ये विनियम पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लागू होंगे।

1. मूल विनियमों के खंड 15.1(च) को निम्नलिखितखंड से प्रतिस्थापित किया जाता है:

(च): 10 किलोवाट से अधिक क्षमता की छत पर सौर फोटो वोल्टेइक प्रणाली की स्थापना के लिए लाइसेंसधारी को 15 दिनों के भीतर तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूरा करना होगा तथा आवेदक को ई-मेल/एसएमएस/डाक के माध्यम से आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, के बारे में सूचित करना होगा, साथ ही जमा करने योग्य शुल्क की अनुमानित राशि और उपभोक्ता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले समझौते की प्रति भी देनी होगी, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि प्रस्ताव तकनीकी रूप से व्यवहार्य है।

*बशर्ते कि 10 किलोवाट क्षमता तक की छत पर सौर फोटो वोल्टेइक प्रणालियों के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदनों को तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की आवश्यकता के बिना स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा और उपभोक्ता के स्वीकृत भार में किसी भी प्रकार की अपेक्षित वृद्धि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा की जाएगी।*

2. मूल विनियमन के खंड 15.1(i) को निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित किया जाता है:

(झ): नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना के बाद, प्रोज्युमर वितरण लाइसेंसधारी को स्थापना प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा। लाइसेंस धारी को स्थापना प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर कनेक्शन समझौते पर हस्ताक्षर, मीटर की स्थापना और नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की सफल कमीशनिंग पूरी करनी होगी। इन विनियमों की अधिसूचना के तीस दिनों के भीतर वितरण लाइसेंसधारी के वेब पोर्टल पर कनेक्शन समझौते और स्थापना प्रमाणपत्र के प्रारूप रखे जाएंगे।

आयोग के आदेश द्वारा।

वी. के. धर (जेकेएस), सचिव  
[विज्ञापन-III/4/असा./282/2024-25]

**JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**

(For UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh)

**NOTIFICATION**

Jammu, the 28th June, 2024

**No. JERC-JKL/Reg/2024/11.**—In the exercise of powers conferred under Section 61(h), and Section 86(1) (e) read with sub-section (I) and clause (zd) and (zi) of sub-section (2) of Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all powers enabling it in that behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh, after previous publication hereby makes the following amendments in the **Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Grid Interactive Renewable Energy system and its related matters) 2023 (Principle Regulations):**

**Short Title and Commencement**

- 1.1 These regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh (**Grid Interactive Renewable Energy system and its related matters**) (First Amendment) Regulations, 2024.
- 1.2 These regulations shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette:
- 1.3 These Regulations shall extend to the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.

1. **Clause 15.1(f) of Principal Regulations is substituted with the following clause:**

(f): For installation of roof top solar photo voltaic systems of more than 10kW capacity the licensee shall complete the technical feasibility study within 15 days and shall communicate to the applicant through email/SMS/post, the sanction or rejection of the application, as the case may be, along with the information regarding estimated amount of fees to be deposited and the copy of the agreement to be executed by the consumer, failing which it shall be presumed that the proposal is technically feasible.

Provided that the applications for roof top solar photo voltaic systems up to 10 kW capacity, complete in all respects shall be deemed to have been accepted without requiring technical feasibility study and any commensurate enhancement of the sanctioned load of the consumer, as may be required, shall be carried out by the distribution licensee.

**2. Clause 15.1(i) of Principal Regulations is substituted with the following clause:**

**(i):** After installation of the Renewable Energy system, the prosumer shall submit the installation certificate to the distribution licensee. The licensee shall complete the signing of the connection agreement, installation of the meter, and successful commissioning of the Renewable Energy system within fifteen days from the date of submission of the installation certificate. Formats of connection agreement and installation certificate shall be placed on the web portal of the distribution licensee within thirty days of notification of these Regulations.

**BY ORDER OF THE COMMISSION.**

V.K. DHAR (JKAS), Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./282/2024-25]